

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-263 तथा 264 के अधीन
संक्षिप्त विचारण में अभिलेख तथा निर्णय

न्यायालय:- एन.एस.ताहेड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

आप0प्रकरण क्रमांक- 414 / 2022

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त / आरक्षी केन्द्र

आमला

अभियोजन / अभियोगी

विरुद्ध

चन्द्रकला श्री रामप्रसाद चौहान

उम्र- 58 वर्ष आदि मेरा

पिता - कनो गिया पाना आमला

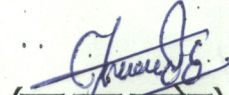
अभियुक्त / गण

(अभियुक्त का अभिवाक् प्ली तथा उसकी परीक्षा यदि कोई हो)

आपने तारीख 7/8/22 को समय 6:00 PM बजे स्थान कनो गिया पर स्वयं के आधिपत्य में कालीदास राय राउत शराब रखी जो धारा 34 (1)(ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

आपका उक्त कृत्य धारा 34(1)(ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अतः आप प्रकट करो कि उक्त धारा का अपराध स्वीकार है अथवा विचारण चाहते हो


(एन.एस.ताहेड)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक् मुर्मस्वीकार है।

चन्द्रकला



SUM/ 414/2022

Filing No. 1349/2022

C.N.R.No.MP-4807-1543/2022

Filing Date. 12/10/2022

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 12.10.2022 को घोषित किया गया)

01- अभियुक्त/गण चन्द कला श्री रामप्रसाद चौहान
पर धारा 34(1)(ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत अभियोग है कि उसने
दिनांक 07-08-2022 को प्रातः/दोपहर/शाम के 6.00 pm बजे,
स्थान कनौजिया अवैध रूप से स्वयं के आधिपत्य में
हॉलीवूड हा. 27 शराब रखी।

02- अभियुक्त/गण को धारा 34(1)(ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध
की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई तो उसने अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया।

03- चूंकि अभियुक्त/गण ने अपराध स्वीकार किया है। अतः अपराध की स्वीकारोक्ति के
आधार पर अभियुक्त/गण को धारा 34(1)(ए) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के
अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं
500/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड
अदा न करने पर अभियुक्त/गण को 10 दिन/माह का पृथक से साधारण कारावास
भुगताना जावे।

04- प्रकरण में जप्त हॉलीवूड हा. 27 शराब विधिवत नष्ट की जावे/आबकारी
विभाग को नियमानुसार लौटायी जावे।

निर्णय न्यायालय में हस्ताक्षरित,

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(एन.एस.ताहेड)
12.10.2022

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला, बैतूल (म.प्र.)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(एन.एस.ताहेड)
12.10.2022

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला, बैतूल (म.प्र.)